

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।

क्रमांक: सामान्य / 11 / 05 / 2023

दिनांक 28 / 06 / 2023

आदेश

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2) की धारा 12 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय, राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(1) न्याय / 2023 दिनांक 12.06.2023 द्वारा निम्नलिखित नवसृजित अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को उनके सृजन की तिथि से अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त करता है एवं यह निर्देश देता है कि उनको उक्त संहिता के अधीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सभी शक्तियों होगी:-

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	जिले का नाम	बैठक का स्थान
1.	अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल भरतपुर न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2, वैर		वैर
2.	अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल सीकर न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2, सीकर		सीकर
3.	अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल उदयपुर न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 4, उदयपुर		उदयपुर
4.	अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल अजमेर न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 3, ब्यावर		ब्यावर
5.	अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल उदयपुर न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2, मावली		मावली
6.	अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल टोंक न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2, टोंक		टोंक
7.	अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल भरतपुर न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2, बयाना		बयाना
8.	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं सिरोही अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आबूरोड़		आबूरोड़

आदेशानुसार,

(चन्द्रप्रकाश श्रीमाली)

रजिस्ट्रार जनरल,
राजस्थान उच्च न्यायालय,

जोधपुर।

४८/१०८

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।

क्रमांक – सामान्य/॥/११/२०२३/ ९८० दिनांक:- २८/०६/२०२३
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, जयपुर।
2. समस्त रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
3. संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश।
4. संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट।
5. संबंधित न्यायालय।
6. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशन हेतु।

राजस्थान
जनरल
२८/०६/२०२३

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, उदयपुर

क्रमांक: स्था./प्रशा./२०२३/ २३४६

दिनांक: ३०.०६.२०२३

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ जरिये ई-मेल प्रेषित है:-

1. स्टेप्डर्ड पृष्ठांकन “बी” के समस्त न्यायालय
2. प्रभारी अधिकारी समस्त अनुभाग, जिला एवं सेशन न्यायालय, उदयपुर
3. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उदयपुर
4. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नवसृजित न्यायालयों का क्षेत्राधिकार निर्धारित कर इस कार्यालय को सूचित करावें।
5. जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आदेश की प्रति उदयपुर न्यायक्षेत्र के समस्त थानाधिकारियों को प्रेषित करावें।
6. अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर
7. कोर्ट मैनेजर, जिला एवं सेशन न्यायालय, उदयपुर
8. वरिष्ठ मुंसरिम/वरिष्ठ रीडर, जिला एवं सेशन न्यायालय, उदयपुर
9. सहायक निदेशक अभियोजन, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आदेश की प्रति आपके समस्त अभियोजन अधिकारीगण/सहायक अभियोजन अधिकारीगण को प्रेषित करें।
10. लोक अभियोजक, जिला न्यायालय, उदयपुर
11. अध्यक्ष, बार एसोसिएशन उदयपुर/कानोड़/वल्लभनगर/खैरवाड़ा/सलूम्बर/मावली/झाड़ोल/भीण्डर/कोटड़ा/सराड़ा/गोगुन्दा
12. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय, उदयपुर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
उदयपुर (राज.)